न्यायालय सहायक कलक्टर बाप केम्प लूणा
पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र कुमार डांगा R.A.S.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. रामदेव पुत्र लिखमाराम जाति ब्राहमण निवासी लूणा तहसील बाप जिला जोधपुर		1. बजरंगलाल पुत्र रामप्रताप जाति ब्राहमण निवासी सीकर तहसील व जिला सीकर 2 श्रीमान तहसीलदार बाप

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :– 30/2017

उपस्थित अधिवक्ता:–

1. वादी की तरफ से वकील श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी
2. प्रतिवादी संख्या 1 उप. नहीं
3. प्रतिवादी संख्या 2 सरकारी पैरोकार स्वंय उप.

दिनांक:– 30/06/2017

निर्णय

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017 केम्प लूणा में पेश हुई। वादी के वाद का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 202 रकबा 96 बीघा, खसरा नंबर 184 रकबा 53.06 बीघा भूमि सरहद मौजा लूणा पटवार क्षेत्र लूणा तहसील बाप में स्थित है। उक्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा था। उक्त भूमि में वादी ने अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 184 रकबा 53.06 बीघा भूमि में अपना सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 14/9/2007 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र के बेचान कर दिया था। और उक्त बैचान के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 467 मौजा लूणा भरा जाकर स्वीकृत हुआ। लेकिन पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण संख्या 467 मौजा लूणा भरते समय विकय पत्र विरूद्व जाकर खसरा नंबर 202 रकबा 96 बीघा भूमि भी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी जबकि वादी ने मात्र खसरा नंबर 184 रकबा 53.06 बीघा भूमि का ही बेचान किया था। और राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम सरासर गलत तरीके से हटा दिया गया । उक्त नामान्तरकरण संख्या 467 मौजा लूणा वादी के खातदोरी अधिकारों के विरूद्व होने से शून्य एवं काबिले खारिज के है। इसलिये नामान्तरकरण संख्या 467 मौजा लूणा को निरस्त किया जाकर खसरा नंबर 202 रकबा बीघा भूमि में वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। जिसका यह दावा पेश है। वादी अपनी खातदोरी अधिकारों की भूमि खसरा नंबर 202 रकबा 96 बीघा में अपने हिस्से की भूमि पर अपनी रहवासी ढाणी, पानी का टांका, पशुओं के लिये बाडे इत्यादि बना रखे है। जिसमें वह बारह ही मास निवास करता आ रहा है। वादी दिनांक 30/01/2017 को अपनी भूमि की सार संभाल कर रहा था। कि प्रतिवादी संख्या 1 अपने साथ कुछ अजनबी व्यक्तियों को लेकर आया और उक्त भूमि को बैचान करने की बात कहने लगा तब वादी ने कहा कि उक्त भूमि को मैने बैचान ही नहीं किया है तो प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा कि मैने तुम्हारे हिस्से की सम्पूर्ण भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली है और उक्त भूमि को आगे बैचान कर दूगा। तब वादी पटवारी हल्का के पास गया और नामान्तरकरण की जांच की तो पता चला कि प्रतिवादी संख्या 1 ने पटवारी हल्का से मिलावट कर वादी के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली है। जो सरासर गलत है। इसलिये वादी को अपने खातेदारी अधिकारों के लिये यह वाद पेश करने की आवश्यकता पडी। नामान्तरकरण संख्या 467 मौजा लूण को निरस्त किया जाकर ग्राम लूणा पटवार लूणा तहसील बाप के खसरा संख्या 202 रकबा 96.00 बीघा भूमि में वादी को अपने 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश फरमावे।

सहायक कलक्टर–बाप

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। समन बद तामिल प्राप्त होने पर भी प्रतिवादी संख्या 1 उप. नहीं आये प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार बाप ने उप. होकर जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली में अभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। बाद बहस मनन व अवलोकन पाया गया कि वादी ने दिनांक 14/09/2017 को प्रतिवादी संख्या 1 को खसरा नंबर 184 रकबा 53.06 बीघा भूमि ही बेचान की थी। जिसकी पुष्टि पंजिबद्व विकय पत्र से होती है। लेकिन उक्त विकय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 467 मौजा लूणा को भरते समय पटवारी हल्का ने वादी के नाम दर्ज खसरा नंबर 202 रकबा 96.00 बीघा भूमि को सरासर गलत तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दी जो गलत है। उक्त तथ्य प्रतिवादी संख्या 2 के जबाब से प्रमाणित होते है। वादी ने अपने वाद को तथ्यों एवं दस्तावेजात से साबित किया है। इसलिए वादी का का वाद स्वीकार योग्य हाने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम लूणा पटवार क्षेत्र लूणा तहसील बाप स्थित भूमि का नामान्तरकरण संख्या 467 मौजा लूणा को निरस्त किया जाकर ग्राम लूणा के खसरा नंबर 202 रकबा 96.00 बीघा भूमि में वादी को अपने 1/2 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष प्रविष्टीया यथावत रहेगी। तहसीलदार बाप को आदेशित किया जाता है। कि माफिक आदेश की पालना कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। डिकी पर्चा अलग से जारी हो। निर्णय की पालना हो। पत्रावली फेसल शुमार होकर नंबर से कम हो । दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/06/2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 के तहत आयोजित केम्प अटल सेवा केन्द्र लूणा में मजमे आम सुनाया गया।

सहायक कलक्टर-बाप
सहायक कलक्टर लूणा
केम्प
बाप (जोधपुर)
राजस्व लोक अदालत-2017